International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 4, July-August, 2025

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. तृप्ती सैनी[1], ईशा सोनी[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, बियानी गर्ल्स बी. एड. कॉलेज
[2]बी.एड. एम. एड. छात्रा बियानी गर्ल्स बी. एड. कॉलेज

सारांश

छात्र–छात्राएं किसी भी राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते है। यदि वे महिला सशक्तिकरण को सकारात्मक रूप से समझते और अपनाते है, तो एक समतामूलक एवं विकसित समाज का निर्माण संभव हो सकता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति महिला सशक्तिकरण के प्रति कैसी है, इसका अध्ययन किया जाए।प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य छात्र–छात्राओं के महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों के संदर्भ में विश्लेषण करना है। यह अध्ययन न केवल युवाओं की सोच को समझने में सहायक होगा, बल्कि यह भी ज्ञात करने में मदद करेगा कि हमे भविष्य में किन क्षेत्रों में औए किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है।

की–वर्ड :–स्नातक स्तर, महिला सशक्तिकरण, अभिवृत्ति

प्रस्तावना

आज का युग महिला सशक्तिकरण का युग कहलाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाएँ आज भी कई क्षेत्रों में असमानता और भेदभाव का सामना कर रही है।महिलाएँ विश्व की लगभग 50ः जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आज भी वे समाज के अनेक क्षेत्रों में असमानता और भेदभाव का सामना कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO, 1982) की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएँ विश्व के कार्य घंटो का लगभग 66.6% कार्य करती है, लेकिन उन्हें केवल 10ः आय प्राप्त होती है और वे 1ः से से भी कम संपत्ति की स्वामिनी है।यह आंकडे दर्शाते है कि महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और धार्मिक. इन सभी प्रमुख अधिकारों में अभी भी पिछड़ी हुई है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करने की गारंटी देते है, फिर भी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। आज महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब समाज की मानसिकता बदले और पुरुषों के साथ साथ युवा पीढ़ी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र–छात्राएं इस दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।

छात्र–छात्राएं किसी भी राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते है। यदि वे महिला सशक्तिकरण को सकारात्मक रूप से समझते और अपनाते है, तो एक समतामूलक एवं विकसित समाज का निर्माण संभव हो सकता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति महिला सशक्तिकरण के प्रति कैसी है, इसका अध्ययन किया जाए।

अध्ययन का औचित्यदृ

महिला सशक्तिकरण आज के समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक मुद्दा बन चुका है। समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समानता की ओर बढ़ने के बावजूद, बहुत से क्षेत्रों में वे अभी भी कमजोर स्थिति में हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राएं समाज के भविष्य के निर्माता होते हैं और उनकी मानसिकता महिला सशक्तिकरण के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को प्रभावित करती है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि स्नातक स्तर के छात्रों की महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृति क्या है, और क्या वे इसे समाज में सुधार के एक मुख्य अंग के रूप में देखते हैं। क्या इन छात्रों की अभिृवत्ति में समय के साथ बदलाव आया है, और क्या उनके अभिृवत्ति में समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे – सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों का प्रभाव है?

यह अध्ययन न केवल सशक्तिकरण के मुद्दे पर छात्रों की जागरूकता को मापेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि वर्तमान में हमारे शिक्षा प्रणाली और समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर कितनी जागरूकता और बदलाव की आवश्यकता है। इसके माध्यम से यह समझने में मदद मिलेगी कि समाज के युवा वर्ग मे समानता और सशक्तिकरण के प्रति क्या मानसिकता है, जो आगे चलकर समाज के समग्र परिवर्तन के लिएए महत्वपूर्ण हो सकती है।इसलिए यह शोध अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह महिला न केवल महिला सशक्तिकरण को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में समानता, अधिकारों और महिलाओं के लिए समर्पित नीतियों के विकास में भी योगदान करेगा ।

समस्या कथन

''स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन''

सम्बन्धित साहित्य

1. **श्रीवास्तव, आर. के. (2004)** –यह अध्ययन महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों की समझ को लेकर किया गया था। शोध में पाया गया कि महिलाओं के प्रति समाज में अभी भी पारंपरिक सोच व्याप्त है और उन्हें समान अवसर नहीं दिये जाते। निष्कर्ष सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं बराबरी से आगे बढ़ सके।
2. **कौशल, वी. (2009)** –इस शोध में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के महिला सशक्तिकरण के प्रति दृष्टिकोण की तुलना की गई। निष्कर्ष स्नातकोत्तर छात्रों का दृष्टिकोण अधिक परिपक्व, सहायक और सकारात्मक पाया गया। इससे यह ज्ञात होता है कि शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ दृष्टिकोण में सुधार आता है।
3. **सिंह और शर्मा (2013)** –यह अध्ययन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के महिला सशक्तिकरण की समझ की तुलना पर केंद्रित था। निष्कर्ष शहरी छात्रों में महिला अधिकारों को लेकर अधिक जागरुकता और सकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत कम था।
4. **मिश्रा, पी. (2016**) –इस शोध में शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का प्रमुख साधन माना गया । निष्कर्ष शिक्षित महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग रहती है। शिक्षा उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।
5. **सक्सेना, आर. (2019)** –कॉलेज के छात्र–छात्राओं के महिला अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष छात्राओं का दृष्टिकोण अधिक संवेदनशील और सशक्त था, जबकि छात्रों में रूढ़िवादी अब भी देखने को मिली।

साहित्य विवेचना

प्रस्तुत शोध में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में महिला सशक्तिकरण के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययनकरना है। इससे सम्बन्धित अध्ययन निम्न है –**श्रीवास्तव, आर. के. (2004), कौशल, वी. (2009),सिंह और शर्मा (2013), मिश्रा, पी. (2016**), **सक्सेना, आर. (2019)**उपरोक्त सभी अध्ययनो से यह स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतियों और कार्यक्रमों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज विशेषकर युवा वर्ग की

मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण की दिशा को निर्धारित करता है। यदि इन वर्गो में सकारात्मक और समानतावादी सोच विकसित हो जाए तो यह महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को तीव्र और प्रभावशाली बना सकती है।

उद्देश्य –

1. स्नातक स्तर के छात्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया जायेगा।
2. स्नातक स्तर की छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया किया जायेगा।

परिकल्पना –

1. स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्री द्वारा बारां शहर के स्नातक स्तर के 4 सरकारी महाविद्यालय सोद्देश्य यादृच्छिक न्यादर्श के रूप में चयन किये गये हैं, जो कि निम्नलिखित हैं – (1) पं० दीनदयाल उपाध्याय शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, (2) अमृतम टी.टी. महाविद्यालय, बताव्दी, जिला बारां, राजस्थान, (3) राजकीय इंजनियंरिंग महाविद्यालय, बारां, (4) राजकीय महिला महाविद्यालय, बारां

शोध अध्ययन के उपकरण –

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोधकर्त्री द्वारा प्रदत्तों के संकलन हेतु Standarised Tool (Women Empowerment Attitude Scale By Dr. Rajesh Kumar Srivastava) का उपयोग किया गया है।

स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

समूह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	टी–मूल्य (t-Value)	निष्कर्ष
स्नातक स्तर की छात्रा	100	14.02	6.82	1.26	स्वीकृत
स्नातक स्तर के छात्र	100	13.01	6.52		

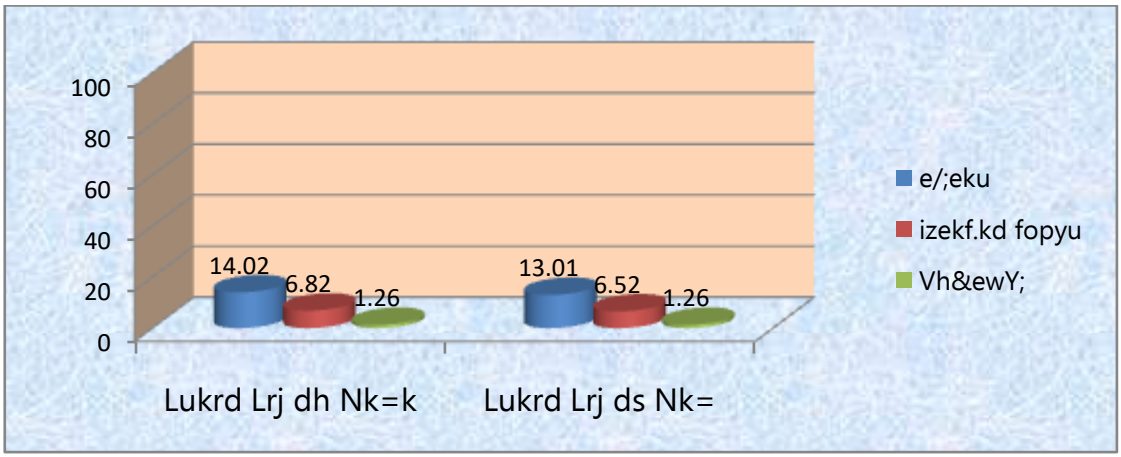

परिणाम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में छात्र–छात्राओं का मध्य टी–मान 1.26 पाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति को निर्धारित करने के लिए 0.05 महत्व स्तर पर तालिका से टी–मान 1.98 है और 0.01 महत्व स्तर पर यह 2.617 है। चूंकि प्राप्त टी–मान दोनों तालिका मानों (0.05 स्तर पर 1.972 और 0.01 स्तर पर 2.617) से कम है, इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे पता चलता है कि स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

समूह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (S.D.)	टी–मूल्य (t-Value)	निष्कर्ष
स्नातक स्तर की छात्रा	100	24.97	7.02	0.754	स्वीकृत
स्नातक स्तर के छात्र	100	25.77	7.96		

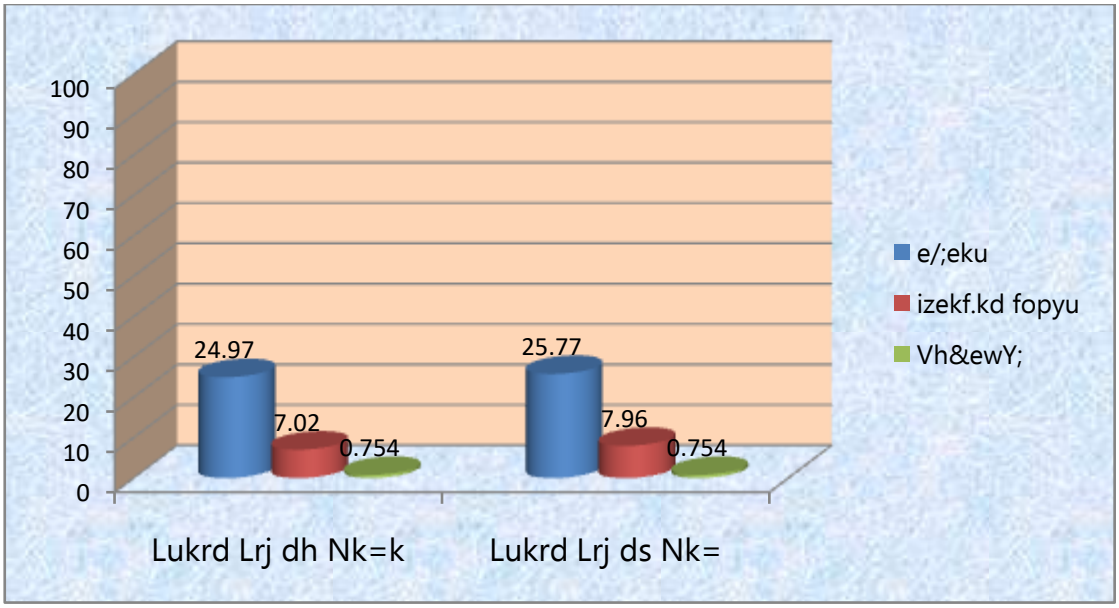

परिणाम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति छात्र–छात्राओं का मध्य टी–मान 0.754 पाया गया है।

इसका तात्पर्य यह है कि स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति को निर्धारित करने के लिए 0.05 महत्व स्तर पर तालिका से टी–मान 1. 98 है और 0.01 महत्व स्तर पर यह 2.617 है।

चूंकि प्राप्त टी–मान दोनों तालिका मानों (0.05 स्तर पर 1.98 और 0.01 स्तर पर 2.617) से कम है, इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे पता चलता है कि स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

शोधकर्त्री द्वरा निर्धारित स्नातक स्तर में अध्ययनरत् छात्र व छात्राओं के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अधिकारों के मध्य टी मान 1.26 प्राप्त हुआ। अतः परिकल्पना स्वीकृत है। स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाली आर्थिक अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। अतः स्नातक स्तर के छात्र व छात्राओं के मध्य आर्थिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करने से संतुष्ट है तथा छात्र–छात्राएं दोनों ही आर्थिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर देखने की सोच रखते है। वे समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता को समर्थन देते है। शोधकर्त्री द्वरा निर्धारित स्नातक स्तर में अध्ययनरत् छात्र व छात्राओं के अन्तर्गत आने वाले सामाजिक अधिकारों के मध्य टी मान 0.75 प्राप्त हुआ। अतः परिकल्पना स्वीकृत है। स्नातक स्तर के छात्र–छात्राओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत आने वाली सामाजिक अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। अतः स्नातक स्तर के छात्र व छात्राओं के मध्य सामाजिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करने से संतुष्ट है तथा छात्र एवं छात्राएं दोनों महिलाओं की समाज में स्वतंत्र भूमिका, सम्मान और बराबरी की भागीदारी को मान्यता देते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. आत्रेय एस. पी (1974) : "मनोविज्ञान में सांख्यिकि", तारा पब्लिकेशन वाराणसी
[2]. बैस डॉ. नरेन्द्र सिंह (2006) :"शैक्षणिक एवं उदीयमान भारतीय समाज" जैन प्रकाशन मन्दिर, जयपुर।
[3]. बेस्ट जे. डब्ल्यू (2000) : "रिसर्च इन एजुकेशन" प्रेटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लि. नई दिल्ली।
[4]. भटनागर सुरेश (2007) : "शिक्षा मनोविज्ञान" आर. लाल बुक डिपो मेरठ।
[5]. भटनागर आर. पी. (1962) "शिक्षा तथा मनोविज्ञान में सांख्यिकि प्रयोग" नेशनल बुक डिपो।
[6]. गृह मंत्रालय व सामाजिक प्रतिरक्षा राष्ट्रीय संस्थान (2001) :''महिला एवं बढ़ते अपराध'' पुलिस अन्वेषण ब्यूरो, (रिपोर्ट)
[7]. चौहान एस. (1989) एडवांस एजुकेशनल साइक्लोजी विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
[8]. चन्द्रा एस. एस. एवं शर्मा आर. के (1997) रिसर्च इन एजुकेशन अटलांटिक, नई दिल्ली।
[9]. कोठारी सी. आर. (1985) : "रिसर्च मैथडोलोजी" विली इस्टर्न लि., नई दिल्ली।
[10]. कपूर, प्रमिला (2001) : ''मैरिज एण्ड द वर्किंग वूमैन इन इण्डिया'', विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ.सं. 3 ।